न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 07/2019

बउनवान

नन्दकिशोर आयु 52 वर्ष पुत्र श्री पांचूलाल जाति–मीणा निवासी–बालून्दा तहसील–मांगरोल जिला–बारां, राज0 **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री जितेन्द्र नागर, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

निर्णय दिनांक 07.03.2022

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल के आदेश दिनांक 15.10.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अपील पेश की।

अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बगैर हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार के आधार पर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विवेक तथा दायित्व का निर्वाह नहीं किया है प्रकरण का निपटारा करते समय अपीलांट की परिस्थिति एवं उसके भूमिहीन होने की स्थिति तथा राज्य आदेशों के अनुसार भूमि के नियमन के बारे में निर्णय दिया जाना चाहिये था जो नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व धारणा बनाकर अपीलांट को दोषी नही होते हुए भी अतिक्रमी मानकर व सजायाब करके भारी भूल व न्याय का हनन किया है तथा विधि द्वारा निर्धारित प्रकिया व कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है। अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। कार्यवाही की तिथि को उसका निर्णय में वर्णित भूमि पर कब्जा नहीं था न आज है। अपीलांट गरीब, असहाय, भूमिहीन व्यक्ति है। वह व उसका परिवार गरीबी रेखा [illegible] वाला परिवार है, उसके खाते में भूमि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने [illegible] गौर नहीं किया है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही [illegible] बेदखली की कोई नकल पेश की गई है। [illegible] स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.10.2018 निर[illegible] फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 11:26:42 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट [illegible] सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी जाकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चित किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी ग्राम बमोरीकलां खसरा नंबर 1800 रकबा 0.32 है. किस्म चारागाह पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 23/18 निर्णय दिनांक 31.01.2018 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के संबंध में सिर्फ पटवारी हल्का के बयान संलग्न किए हैं। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना हम उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा पारित बेदखली एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 31/18 में पारित निर्णय दिनांक 15.10.2018 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड दें तथा तहसीलदार, मांगरोल के समक्ष एक माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा निर्णय दिनांक 15.10.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.10.2018 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 11:26:42 IST
Reason: SelfAttested